57

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

योजना मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

सतावनवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

सतावनवाँ प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

योजना मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

23 मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

23 मार्च, 2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना..... (iii)
प्राक्कथन..... (v)

भाग- एक **पृष्ठ सं.**

अध्याय – एक	प्रस्तावना	1
अध्याय – दो	अनुदानों की मांगों (2023-24) का विश्लेषण	4
अध्याय – तीन	विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)	10
अध्याय – चार	अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और स्व:रोजगार तथा प्रतिभा उपयोगगिता (एसईटीयू)	13
अध्याय – पांच	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)	17
अध्याय – छह	राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)	20
अध्याय – सात	सतत् विकाश लक्ष्य (एसडीजी)	22
भाग- दो		
समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें		25-29
अनुबंध		
28.02.2023 और 15.03.2023 को हुई समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश		30

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
5. डॉ सुभाष रामराव भामरे .
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री सुधीर गुप्ता
9. श्री मनोज कोटक
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री हेमंत पाटिल
12. श्री रवि शंकर प्रसाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. प्रो .सौगात राय
15. श्री पी .वी .मिधुन रेड्डी
16. श्री गोपाल शेट्टी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. डॉ) .प्रो (कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ राधा मोहन दास .अग्रवाल
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्री पी .चिदम्बरम
25. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
26. श्री रायगा कृष्णैया
27. श्री सुशील कुमार मोदी
28. डॉ .अमर पटनायक
29. डॉ .सी .एम .रमेश
30. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
31. रिक्त

सचिवालय

1.	श्री सिद्धार्थ महाजन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री रामकुमार सूर्यनारायणन	-	निदेशक
3.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
4.	सुश्री मधुमिता	-	सहायक समिति अधिकारी

प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह सतावनवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24) 08 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 28 फरवरी, 2023 को योजना मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति योजना मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 15 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

भाग- एक

अध्याय- एक
प्रस्तावना

1.1 नीति आयोग के नाम से भी जाने वाली राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान का गठन 1 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है, जो दिशात्मक और नीतिगत आगत प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम डिजाइन करने के अलावा नीति आयोग केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यू.टी.) को संगत तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। नीति आयोग भारत सरकार के लिए राज्यों को राष्ट्रहित में एक साथ कार्य करने के लिए अनिवार्य मंच के रूप में कार्य करता है और उसके द्वारा सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

1.2 उद्देश्य और विशेषताएं

नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इस नोडल एजेंसी को आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण का उपयोग करके भारत के राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(क) राज्यों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों के एक साझा विजन का विकास करना।

(ख) यह स्वीकार करते हुए कि सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहलों और तंत्रों के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।

(ग) ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्रों का विकास करना और इनको उत्तरोतर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना।

(घ) यह सुनिश्चित करना कि जो क्षेत्र विशेष रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं उनकी आर्थिक कार्यनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित किया गया है।

(ङ) हमारे समाज के उन बर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना, जिनको आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो सकता है।

(च) कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना और पहल करना तथा उनकी प्रगति और प्रभाव की निगरानी करना। निगरानी और फीडबैक के माध्यम से सीखे गए सबक का प्रयोग आवश्यक मध्यावधि संशोधन सहित नवोन्मेषी सुधार करने के लिए किया जाएगा।

(छ) महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ-साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थाओं को सलाह देना और उनके बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(ज) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वृत्तिकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशील सहायक प्रणाली तैयार करना।

(झ) विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्क्षेत्रक और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना।

(ञ) अत्याधुनिक संसाधन केंद्र का अनुरक्षण करना, सुशासन पर अनुसंधान तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का भण्डार बनना और साथ ही उसे हितधारकों तक पहुंचाने में भी मदद करना।

(ट) आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ-साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रियता से मूल्यांकन और निगरानी करना, ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।

(ठ) कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देना।

(ड) ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा को लागू करने और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं।

1.3 नीति आयोग एक संबद्ध कार्यालय अर्थात विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन संगठन (डीएमईओ), एक महत्वपूर्ण पहल अर्थात अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और एक स्वायत्त निकाय यानी श्रम आर्थिक अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। नीति आयोग के समस्त कार्यकलापों को चार मुख्य शीर्षों में विभाजित जा सकता है :

(क) नीति और कार्यक्रम रूपरेखा
(ख) सहकारी एवं तुलनात्मक संघवाद
(ग) निगरानी एवं मूल्यांकन
(घ) थिंक टैंक और ज्ञान एवं नवाचार केंद्र

1.4 नीति आयोग के माध्यम से योजना मंत्रालय निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं कार्यान्वित करता है:

(क) स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) ।
(ख) अनुसंधान एवं अध्ययन के माध्यम से चल रहे कार्यक्रम और योजनाएं (आर एवं एस)।
(ग) आकांक्षी जिला कार्यक्रम(एडीपी)।
(घ (राज्य सहायता मिशन)एसएसएम(

1.5 <u>नीति आयोग की शासी परिषद</u>

नीति आयोग की शासी परिषद, जिसमें सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उप राज्यपाल शामिल हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 16 फरवरी, 2015 को प्रभाव में आई। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से शासी परिषद का पुनर्गठन किया गया। शासी परिषद प्रमुख निकाय है जिसे विकास की गाथा को आकार देने में राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कार्यनीतियों का एक साझा विज़न विकसित करने का काम सौंपा गया है। शासी परिषद, जो सहकारी संघवाद के उद्देश्यों का प्रतीक है, राष्ट्रीय विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर-क्षेत्रक, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रस्तुत करती है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों / उप राज्यपालों और शासी परिषद के अन्य सदस्यों के साथ अब तक शासी परिषद की सात बैठकें हो चुकी हैं।

1.6 भाग-I के बाद के अध्यायों में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

(क) अनुदान की मांगों (2023-24) का विश्लेषण

(ख) विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

(ग) अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) तथा स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (एसईटीयू)

(घ) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) तथा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)

(ङ) राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)

(च) सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

अध्याय-दो

अनुदान की मांगों (2023-24) का विश्लेषण

2.1 योजना मंत्रालय ने 08 फरवरी, 2023 को लोक सभा में अनुदान की विस्तृत मांग (2023-24, मांग संख्या 77) प्रस्तुत की। वर्ष 2023-24 के लिए योजना मंत्रालय का कुल आवंटन 824.39 करोड़ रूपये है। राजस्व खंड और पूंजीगत खंड के संबंध में क्रमशः 805.73 करोड़ रूपये और 18.66 करोड़ रूपये की मांगें हैं। वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (बीई) और संशोधित अनुमान (आरई) क्रमशः 321.42 करोड़ और 1031.53 करोड़ रूपये थे। वर्ष 2021-22 का वास्तविक 1064.13 करोड़ रूपये था। बीई (2023-24) को बीई (2022-23) से 502.97 करोड़ रूपये (156.48 %) बढ़ा दिया गई और आरई (2022-23) से 207.14 करोड़ रूपये (20.08 %) कम कर दिया गया है। बीई (2023-24) को वास्तविक (2021-22) से 239.74 करोड़ रूपये कम कर दिया गया है। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व खंड में बीई के 2022-23 (310.67 करोड़ रूपये) के राजस्व खंड से 495.06 करोड़ रूपये (159.35%) की वृद्धि देखने को मिली और आरई 2022-23 (1011.23 करोड़ रूपये) के राजस्व खंड से 206.55 करोड़ (20.42%) की कमी हुई । नीति आयोग द्वारा बताया गया कि, "वर्ष 2023-24 के लिए बीई (2022-23) की तुलना में, राजस्व खंड में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से चल रही योजना "आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)" के लिए आवंटित बजट 433.00 करोड़ रुपये, और एक नई योजना "राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)" 40.00 करोड़ रुपये के कारण वृद्धि की गयी। पूंजीगत खंड में, 2023-24 के बीई में 18.66 करोड़ रूपये का आवंटन प्रदान किया गया जो बीई 2022-23 से 7.91 करोड़ रूपये (73.58%) की वृद्धि है और आरई 2022-23 (20.30 करोड़) से 1.64 करोड़ रूपये (8.08%) कम है । नीति आयोग के अनुसार, पूंजीगत खंड में बीई (2022-23) की तुलना में बीई (2023-24) में 73.58% की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली (डीएफपीआर) 1978 के नियम 8 के अंतर्गत संशोधित/नए वस्तु शीर्षों के संचालन के लिए आवंटित बजट के कारण हुई है।

2.2 स्थापना व्यय के लिए परिव्यय बीई (2022-23) में 181.09 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 149.49 करोड़ रुपये के बीई (2022-23) से 31.60 करोड़ रुपये (21.14%) की वृद्धि है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के मामले में, बीई (2022-23) के मुकाबले बीई (2023-24) में 17.00 करोड़ रुपये पर अपरिवर्तित रखा गया है। इसी प्रकार, व्यय की गति के अनुसार, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) के लिए सहायता अनुदान के लिए बीई (2023-24) में 11.30 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जो बीई (2022-23) में 9.86 करोड़ रुपये के पहले के आवंटन की तुलना में 1.44 करोड़ रुपये (14.60%) की वृद्धि है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के मामले में, परिषद की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बीई (2020-21) के बाद से आवंटन 3.00 करोड़ रुपये ही रही है।

2.3 केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बीई (2022-23) में 632.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है जिसमें बीई (2022-23) जिसमें 162.07 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, की तुलना में 469.93 करोड़ रुपये (289.95%) की वृद्धि हुई है। अटल नवाचार

मिशन (एआईएम) के संबंध में, बीई (2022-23) के दौरान 155.31 करोड़ रुपए के आवंटन की तुलना में बीई (2023-24) में केवल 155 करोड़ रुपये की राशि मांगी जा रही है। यह बीई (2022-23) की तुलना में बीई (2023-24) में 31 लाख रुपये (0.20%) की कम है। जैसा कि नीति आयोग द्वारा सूचित किया गया है, एआईएम अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) के अंतर्गत अपने मौजूदा लाभार्थियों के समेकन पर ध्यान केंद्रित करेगा और बजट अनुमानों के बड़े हिस्से की खपत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नए एटीएल की स्थापना के मौजूदा अधिदेश के अनुसार, नए एटीएल की स्थापना की कोई योजना नहीं है। नए एटीएल की स्थापना पर बजट अनुमानों के बड़े हिस्से की खपत होती थी। नई योजना 'राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)' के लिए 40.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 'बीई 2014-15 [एसओपीएस, ईपीपी (आईसी), आर एवं एस, पीएफएआर, यूएनडीपी-एचडीबीआई, यूएनडीपी-एससीडीपी]' से देनदारियों सहित चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए' 437.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया था, जिसे दो भागों अर्थात् 'अनुसंधान एवं अध्ययन' (4.00 करोड़ रुपये) और एसडीजी के लिए जेआईसीए से ओडीए (433.00 करोड़ रुपये) में विभाजित किया गया है। 112 आकांक्षी जिलों में एसडीजी के लिए जेआईसीए से ओडीए के लिए, पीआईबी प्रस्तुत न करने के कारण 2022-23 के दौरान 0.01 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले सतत विकास लक्ष्यों)एसडीजी (के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी)जेआईसीए (से आधिकारिक विकास सहायता के साथ एक टोकन प्रावधान किया गया है और बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय ने पहले बैच के अनुदान की पूरक मांगों 2022-23 में 500.00 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। बजट अनुमान)बीई (2023-24 में 433.00 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है।

2.4 योजना मंत्रालय के पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों में अनुदान की मांगों के विश्लेषण के संबंध में विवरण अनुबंध-एक में देखा जा सकता है ।

2.5 योजना मंत्रालय के लिए पिछले चार वर्षों का आवंटन निम्नवत है:

वर्ष	ब.आ.	सं.आ.	वास्तविक
2020-21	650	-	748.69
2021-22	1062.77	-	1064.13
2022-23	321.42	1031.53	224.60*
2023-24	824.39	-	-

*व्यय दिसंबर 2022 तक का है।

2.6 पिछले तीन वर्षों के लिए योजना मंत्रालय का आवंटन के राजस्व और पूंजीगत खंड निम्नवत हैं:

वर्ष	ब.आ.		सं.आ.		वास्तविक	
	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
2021-22	-	-	-	-	1064.13	-
2022-23	310.67	10.75	1011.23	20.30	-	-
2023-24	805.73	18.66	-	-	-	-

2.7 बीई (2022-23) की तुलना में आरई (2022-23) में 221% की वृद्धि के लिए जब विशेष कारण पूछा गया, जहाँ बीई (2022-23) में 321.42 करोड़ रुपये और आरई (2022-23) में 1031.53 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, योजना मंत्रालय के लिखित उत्तर निम्नवत है:

"बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान में 221% की वृद्धि मुख्य रूप से बजट अनुमान 2022-23 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता योजना और अटल नवोन्मेष मिशन में भारी वृद्धि के कारण है। वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पहले बैच में दिसंबर, 2022 में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता के लिए 500 करोड़ रुपये और अटल नवाचार मिशन (एआईएम) स्कीम के लिए 155.31 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 2022-23 के सापेक्ष संशोधित अनुमान 2022-23 में 343.21 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। नीति मुख्यालय, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) और नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना नामतः राज्य सहायता मिशन में आबंटन में कुछ वृद्धि की गई है।"

2.8 पिछले वर्ष के आरई की तुलना में इस वर्ष पूंजीगत निधियों की कमी का विवरण देने के लिए कहा गया, जहां पूंजी खंड आरई (2022-23) में 20.30 करोड़ रुपये और बीई (2023-24) में 18.66 करोड़ रुपये था और क्या मंत्रालय ने पूरक चरणों में अतिरिक्त धन की मांग करने की योजना की, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"बजट अनुमान 2022-23 के दौरान पूंजीगत खंड के तहत आबंटन 10.75 करोड़ रुपये था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज (एएनआईसी) कार्यक्रम में लाभार्थियों के विस्तार और कार्यान्वयन के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 के दौरान 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों की मांग की गई थी। तदनुसार, बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में 7.91 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ बजट अनुमान 2023-24 के लिए पूंजीगत खंड में 18.66 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।"

2.9 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रस्तावित कार्यकलाप

वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित व्यय की दृष्टि से की जाने वाली विभिन्न प्रस्तावित गतिविधियाँ निम्नवत हैं:

(क) स्थापना संबंधी व्यय:

(i) योजना विभाग

इसके अंतर्गत वेतन और भत्तों तथा यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित अन्य व्यय के साथ-साथ योजना राज्य मंत्री का कार्यालय के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ii) **नीति आयोग**

इसके अंतर्गत वेतन और भत्तों तथा यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित अन्य व्यय के साथ-साथ उपाध्यक्ष, सदस्यों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति आयोग के अन्य पदाधिकारियों के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय और नीति आयोग के विभिन्न वर्टिकलों/ प्रभागों में किए जा रहे विभिन्न कार्यकलापों संबंधी व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

(iii) **प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद**

इसके अंतर्गत वेतन और भत्तों तथा यात्रा और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित अन्य व्यय के साथ-साथ अध्यक्ष और परिषद के अन्य अधिकारियों के संबंध में व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

(iv) **विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)**

डीएमईओ भारत सरकार के सर्वोच्च निगरानी और मूल्यांकन (एमएंडई) कार्यालय और नीति आयोग के संबद्ध कार्यालय होने के तौर पर, वर्ष 2023-24 के दौरान सहयोगी एवं प्रतियोगी संघवाद के बड़े उद्देश्य की तर्ज पर केंद्र और राज्यों दोनों में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ बनाने के लिए निगरानी एवं मूल्यांकन में अपनी अधिदेशित और उभरती गतिविधियों को जारी रखेगा।

(iv) **राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी)**

निलर्ड नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है जिसे सहायता अनुदान वेतन, सामान्य सहायता अनुदान और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के रूप में बजटीय अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान निलर्ड विदेश मंत्रालय की आईटीईसी योजना के अंतर्गत भागीदारों के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन और प्रशिक्षण गतिविधियों चलाएगा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

(ख) **योजना से संबंधित व्यय:**

पूर्व-पृष्ठ के अनुसार, नीति आयोग तीन योजनाओं को चलाता है जिन्हें 14 वें वित्त आयोग)एफसी (की अवधि से 15 वें एफसी की अवधि में आगे बढ़ाया जा रहा है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से उनकी योजना से संबंधित व्यय को पूरा किया जाता है, विवरण निम्नलिखित हैं;

(i) **स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन)एआईएम)**

अटल नवाचार मिशन)एआईएम (देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रमुख पहल है और इसे 2016 में स्थापित किया गया था। इस संबंध में एआईएम ने स्कूलों में समस्या सुलझाने के लिए अभिनव मानसिकता को सुनिश्चित करने और विश्वविद्यालयों ,अनुसंधान संस्थानों ,निजी एवं एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमिता इकोसिस्टम का सृजन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। वर्तमान में एआईएम की सभी पहलों की निगरानी और प्रबंधन एक मिशन उच्च स्तरीय समिति)एमएचएलसी (कर रही है जिसमें माननीय ,शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सचिव ,शिक्षा और उद्योग क्षेत्र से नवाचार और इकोसिस्टम विशेषज्ञ शामिल हैं। एमएचएलसी देश में नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण हेतु एआईएम की नियोजित गतिविधियों की प्रगति की निगरानी और पुनरीक्षण करती है और परामर्श देती है। एआईएम अटल टिंकरिंग लैब ,अटल इंक्यूबेशन केंद्र ,अटल न्यू इंडिया चैलेंज ,अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र और इकोसिस्टम के विकास गतिविधियों आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता और नवाचार इकोसिस्टम के विकास में ध्यान केंद्रित करता है ;यह सभी मिलकर एआईएम के लिए कार्य योजना प्रदान करते हैं।

(ii) **जारी कार्यक्रम और योजनाएँ**

इसके अंतर्गत अनुसंधान और अध्ययन से संबंधित व्यय को पूरा किया जा रहा है। अनुसंधान और अध्ययन एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना में वर्ष 24-2023के बजट अनुमान के लिए वित्तीय परिव्यय 4 00.करोड़ रुपए का है। योजना का उद्देश्य आर्थिक / सामाजिक विकास के मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है और विकास योजना की प्रक्रिया में सरकार की नीतियों ,योजनाओं ,स्कीमों के योजना निर्माण या कार्यान्वयन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले घटकों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। इस योजना का उपयोग मुख्य रूप से परामर्श शुल्क के भुगतान द्वारा नीति आयोग द्वारा कराए गए बाह्य अनुसंधान के लिए वित्त पोषण में शामिल व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ,प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित सेमिनार /सम्मेलन /कार्यशालाएं आदि भी योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता हैं। इसके अलावा ,विभिन्न संगठनों को इस योजना के अंतर्गत सेमिनारों / सम्मेलनों /कार्यशालाओं /शिखर सम्मेलनों /संगोष्ठियों /वार्षिक समारोहों जैसे आयोजनों के लिए नीति आयोग के 'लोगो' का उपयोग करने की अनुमति देने से भी गैर-वित्तीय सहायता भी प्राप्त हुई है।

(iii) **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)**

इसका लक्ष्य भारत के 112अपेक्षाकृत अल्प विकसित जिलों में कम समय में तेजी से परिवर्तन लाना है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इन जिलों में अपने अनोखे शासन मॉडल

के माध्य में से कम समयावधि में बेहतर प्रदर्शन हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य घटकों में सभी क्षेत्रों में प्रमुख निष्पादन संकेतकों का मुद्दा शामिल है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक उत्पादकता में सुधार कें लिए महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में 5क्षेत्रों में से 49संकेतकों का चयन किया गया है ,जिनमें स्वास्थ्य एवं पोषण ,शिक्षा ,कृषि एवं जल संसाधन ,वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी अवसंरचना शामिल हैं। जिलों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी इन संकेतकों में की गई प्रगति के आधार पर की जाती है। जिलों को रैंक देने के लिए इस प्रगति का उपयोग किया जाता है ,जिन्होंने मासिक आधार पर उपर्युक्त संकेतकों पर सुधार दिखाया है।

(iv) **राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)**

2047तक साझा विज़न के परिवर्तनकारी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नीति आयोग के राज्यों के साथ और अधिक व्यवस्थित और संस्थागत तरीके से अपने सतत जुड़ाव को फिर से मज़बूत करने के प्राथमिक उद्देश्य से राज्य सहायता मिशन)एसएसएम (की परिकल्पना की गई है। राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत, नीति आयोग राज्यों को राज्य परिवर्तन संस्था)एसआईटी (स्थापित करने में मदद करेगा।

अध्याय- तीन

विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

3.1 विकास अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) भारत सरकार का सर्वोच्च अनुवीक्षण और मूल्यांकन (एमएंडई) कार्यालय है। इसके कार्य क्षेत्र में नीति आयोग के सहयोगी एवं प्रतियोगी संघवाद के अधिदेश के अंतर्गत राज्यों के साथ जुड़ाव भी शामिल है। डीएमईओ की भूमिका नीति आयोग को सौंपे गए निगरानी और मूल्यांकन कार्य का संचालन करना है ।

2021-22 में डीएमईओ की प्रमुख परियोजनाओ में शामिल हैं:

(क) उत्पाद-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ)
(ख) डेटा अभिशासन गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई)
(ग) वैश्विक सुधार और विकास सूचकांक की निगरानी (जीआईआरजी)
(घ) मूल्यांकन को संस्थागत बनाना और बढ़ावा देना
(ङ) राज्यों के साथ वचनबद्धता
(च) क्षमता निर्माण

3.2 उत्पाद - परिणाम निगरानी रूपरेखा) ओओएमएफ (केन्द्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे 18-2017 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों का ध्यान भौतिक और वित्तीय प्रगति पर केंद्रित करने के बजाय किए गए कार्यों के परिणामों पर केंद्रित करने के लिए परिणाम निगरानी को संस्थागत बनाना है। वर्ष 2020 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों /विभागों के सचिवों के साथ विभिन्न मंत्रालयों /विभागों की ओओएमएफ से संबंधित वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं। इसके अलावा ,ओओएमएफ की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएस / सीएसएस की सभी योजनाओं की रूपरेखा और संकेतकों की एक सतत क्षमता निर्माण कवायद तथा समीक्षा पूरे वर्ष की जाती है।

3.3 डेटा निर्माण, डेटा गुणवत्ता, डेटा विश्लेषण, उपयोग और प्रसार, प्रौद्योगिकी के उपयोग, डेटा सुरक्षा और मानव संसाधन क्षमता तथा केस स्टडी सहित विभिन्न मापदंडों पर मंत्रालयों / विभागों में योजना निगरानी के लिए डेटा तैयारियों के स्तर और आईटी-आधारित प्रणालियों के उपयोग का आकलन करने के लिए डीएमईओ ने एक डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया है। डीजीक्यूआई कवायद से प्राप्त सीखों का व्यापक रूप से प्रसार करने के उद्देश्य से डीएमईओ की वेबसाइट पर डीजीक्यूआई कार्यप्रणाली टूलकिट को प्रकाशित किया गया और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया ताकि वे समान डेटा परिपक्वता आकलन करने में सक्षम हो सकें। मंत्रालयों / विभागों और राज्यों के बीच समकक्ष अधिगम

को बढ़ावा देने के लिए डीएमईओ की वेबसाइट पर निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक डेटा का उपयोग करने में अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह भी प्रकाशित किया गया।

3.4 डीएमईओ पुनर्गठित विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति)डीईएसी (के व्यापक मार्गदर्शन में मूल्यांकन करता है। डीईएसी द्वारा अनुमोदित आवर्ती मूल्यांकन योजना के अनुसार अध्ययन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डीएमईओ मंत्रालयों /विभागों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर भी मूल्यांकन करता है।

3.5 डीएमईओ पिछले वर्ष के दौरान केंद्रीय और राज्य स्तरों पर व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के निर्माण के लिए कई पहल कर रहा है। इन पहलों को सरकारी हितधारकों ,वैश्विक विशेषज्ञों ,थिंक टैंकों और शैक्षणिक संगठनों के साथ सहक्रियात्मक साझेदारी के माध्यम से समर्थन दिया जाता है।

3.6 पिछले चार वर्षों के लिए डीएमईओ के आवंटन निम्नवत है:

(रु. करोड़ में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष	योजना का नाम	ब. आ. (2020-21)	वास्तविक (2020-21)	ब. आ. (2021-22)	वास्तविक (2021-22)	ब. आ. (2022-23)	वास्तविक (2022-23) (दिसम्बर 2022 तक)	ब. आ. (2023-24)
1	3475	विकास निगरानी तथा मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)	14.00	24.44	16.00	15.73	17.00	11.61	17.00

3.7 डीएमईओ को रुके हुए आवंटन का कारण बताने के लिए पूछे जाने पर, जहां पिछले वर्ष से 17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और निर्दिष्ट करें कि क्या यह राशि डीएमईओ द्वारा निगरानी और मूल्यांकन के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर निम्नानुसार दिया:

"अनुवीक्षण और मूल्यांकन के अधिदेश को पूरा करने के लिए, डीएमईओ भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का मूल्यांकन करता है और निष्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ), डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) के माध्यम से अनुवीक्षण कार्य भी करता है। डीएमईओ को स्थिर निधियां आवंटित करने के कारण निम्नवत हैं:

(i) डीएमईओ ने वित्त वर्ष 2019-20 में 125 केन्द्र प्रायोजित स्कीमों का मूल्यांकन किया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में पूरा हुआ, और व्यय वित्त वर्ष 2019-20 तथा वित्त वर्ष 2020-21 तक विस्तारित किया गया।

(ii) महामारी की दूसरी लहर के कारण, कई मूल्यांकन अध्ययनों की समय-सीमा में विलम्ब हुआ। इसने बाद के वर्ष में बाद के मूल्यांकन अध्ययनों की योजना को प्रभावित किया।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में, डीएमईओ कई मूल्यांकन अध्ययनों की शुरूआत करने की योजना बना रहा है जिनके तहत भारत सरकार की अधिकांश प्रमुख योजनाओं को कवर किया जाएगा। इसलिए और अधिक निधियों की आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अत: वास्तविक व्यय के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के चरण के दौरान अतिरिक्त निधि के लिए अनुरोध किया जाएगा।"

अध्याय- चार

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) तथा स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु)

4.1 अटल इनोवेशन मिशन)एआईएम (देश में नवोन्मेष और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयोजन से भारत सरकार की प्रमुख पहल है। वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से, एआईएम ने विभिन्न क्षेत्रों में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब, 69 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर, 14 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए हैं और 57 अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किए हैं।

4.2 अटल टिंकरिंग लैब्स

एटीएल ,एआईएम ,भारत सरकार की प्रमुख पहल है ,जो पूरे भारत के उच्च विद्यालयों के छात्रों के बीच एक नवोन्मेषी मानसिकता का पोषण करती है। एटीएल योजना के तहत ,एटीएल की स्थापना करने के लिए चयनित विद्यालयों को बीस लाख रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

4.3 अटल इन्क्यूबेशन सेंटर

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर कार्यक्रम को वर्ष 2017में बिजनेस इन्क्यूबेटरों के ईकोसिस्टम पारि-प्रणाली के निर्माण की दृष्टि से शुरू किया गया था ,जहां उद्यमी भौतिक अवसंरचना ,प्रशिक्षण और शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं ,और निवेशकों ,अन्य नवोन्मेषकों और सलाहकारों सहित प्रमुख हितधारकों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। एआईसी/ईआईसी को 5वर्ष की अवधि में 10करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाता है।

4.4 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर

अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर)एसीआईसी (देश के वंचित क्षेत्रों में नए समाधानों के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नवोन्मेष को संचालित करने का एक साधन है। एसीआईसी का उद्देश्य एक पीपीपी आधारित सहभागी मॉडल विकसित करके एसडीजी समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित नवोन्मेषों के लाभों को बढ़ावा देना और प्रचारित करना है जिसमें एआईएम द्वारा अनुदान सहायता स्वरूप योगदान की गयी राशि के बराबर की राशि अंशदान करना अपेक्षित होता है।

4.5 अटल न्यू इंडिया चैलेंज

अटल न्यू इंडिया चैलेंज)एएनआईसी (अटल इनोवेशन मिशन ,नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेषों की तलाश ,चयन ,समर्थन और पोषण करना है जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। एएनआईसी कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भारत के विकास और इसकी संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों - शिक्षा ,स्वास्थ्य ,जल और स्वच्छता ,कृषि ,खाद्य प्रसंस्करण ,आवास ,ऊर्जा ,गतिशीलता ,अंतरिक्ष अनुप्रयोग आदि में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना है। एएनआईसी प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों की मांग करता है और 1करोड़ रुपये तक का वित्त पोषण और एआईएम नवाचार इकोसिस्टम से अन्य संबद्ध सहायता प्रदान कर 12से 18महीनों के दौरान व्यावसायीकरण चरण तक चयनित स्टार्ट-अप की सहायता करता है।

4.6 एआईएम ईकोसिस्टम विकास कार्यक्रम)एईडीपी(

एईडीपी संरचित कार्यक्रमों के ढांचे से परे एआईएम लाभार्थियों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करने के लिए संबंधित हितधारकों के नेटवर्क का निर्माण करके नवाचार और उद्यमिता ईकोसिस्टम को मजबूत कर रहा है।

4.7 वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम

वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम)वीआईपी (एआईएम की एक पहल है ,जिसका लक्ष्य भारत की प्रत्येक अनुसूचित भाषा में संसाधनों और सुदृढ ईकोसिस्टम का निर्माण करके भारत के नवोन्मेष ईकोसिस्टम में लेनदेन की भाषा से रचनात्मक अभिव्यक्ति को अलग करना है। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र होने के नाते ,यह प्रत्येक नवप्रवर्तक को अभिव्यक्ति की अपनी भाषा में नवोन्मेष करने और विचार करने का अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त है और वीआईपी उसी दिशा में एक कदम है। एक समर्थकर्ता के रूप में ,वीआईपी का उद्देश्य भाषाओं की बाधाओं को कम करके और क्वांटम लीप के लिए आवश्यक ज्ञान का सही समुच्चय प्रदान करके जमीनी स्तर पर नवोन्मेष को सशक्त बनाना है।

4.8 एआईएम ने विभिन्न कॉरपोरेट्स और फाउंडेशनों के साथ 50से अधिक साझेदारियां की हैं और उद्योग जगत के अग्रणियों और संकाय के साथ काम किया है जो बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी ,बाजार और निवेशक पहुंच ,मॉड्यूल के निर्माण और एटीएल को अपनाकर एआईएम लाभार्थियों की सहायता करते हैं। वर्ष 24-2023 के लिए सेतु सहित एआईएम के आउटपुट और परिणाम लक्ष्य **अनुबंध II** में देखे जा सकते हैं।

4.9 पिछले चार वर्षों के लिए सेतु सहित एआईएम को दिया गया आवंटन निम्नवत है:

(रु. करोड़ में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष	योजना का नाम	ब. आ. (2019-20)	वास्तविक (2019-20)	ब. आ. (2020-21)	वास्तविक (2020-21)	ब. आ. (2021-22)	वास्तविक (2021-22) (दिसम्बर	ब. आ. (2022-23)

								2021 तक)	
1	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग)सेतु() सहित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) (राजस्व)	300.00	332.41	342.00	341.96	145.31	70.90	144.30
	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग)सेतु() सहित अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) (पूंजी)	--	--	--	--	10.00	--	10.70
	3475		300.00	332.41	342.00	341.96	155.31	70.90	155.00

4.10 एआईएम को आवंटन की घटती प्रवृत्ति के कारण बताने के लिए कहा गया, जहां 342 करोड़ रुपये, 155.31 करोड़ रुपये और 155 करोड़ रुपये क्रमशः बीई (2021-22) बीई (2022-23) और बीई (2023-24) में आवंटित किए गए हैं। योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना करना, वर्षों से एआईएम के व्यय का प्रमुख घटक रहा है। एआईएम ने वर्ष 2022-23 में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का अधिदेश पूरा कर लिया है। वर्ष 2023-24 में, वर्तमान अधिदेश के अनुसार, नए एटीएल स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। एआईएम में एटीएल के तहत अपने मौजूदा लाभार्थियों के समेकन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एआईएम में मौजूदा लाभार्थियों के लिए निरंतर समर्थन के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों - एआईसी/एसीआईसी और एएनआईसी के तहत कुछ नए लाभार्थियों की स्थापना भी की जाएगी। एआईएम, एक नए ईएफसी तथा कार्य के विस्तारित दायरे और परिवर्धित बजट के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रक्रिया में भी है।"

4.11 एआईएम, वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (वीआईपी) की एक नई पहल की रूपरेखा प्रदान करने के लिए कहा गया है, जो भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में लेनदेन की भाषा से रचनात्मक अभिव्यक्ति को अलग करने पर लक्षित है और क्या यह कार्यक्रम स्कूल और सामुदायिक स्तर पर शुरू किया जाएगा, मंत्रालय योजना के लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया गया है:

"एक बहुभाषी राष्ट्र होने के नाते, भारत में प्रत्येक नवप्रवर्तक को अभिव्यक्ति की अपनी भाषा में नवाचार और विचार सृजन का अवसर प्रदान करना उपयुक्त है और वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम)वीआईपी (इसी दिशा में एक कदम है। एक सक्षमकर्ता के रूप में, वीआईपी का उद्देश्य भारत के

नवोन्मेष पारिस्थितिकी तंत्र में भाषा संबंधी बाधा को कम करके नवोन्मेष को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम में 22 भाषाओं में डिज़ाइन थिंकिंग शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और इसे शीघ्र ही पूरे देश में आरम्भ किया जाएगा और यह प्रत्येक भारतीय को अपनी भाषा में कुछ नवोन्मेष करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।"

अध्याय- पांच

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लौक कार्यक्रम (एबीपी)

5.1 आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य उन क्षेत्रों में 112 पिछड़े जिलों में तेजी से परिवर्तन करना है जो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता या आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम की मुख्य ताकत डेटा पर आधारित शासन पर इसका ध्यान है जो जिला स्तर पर साक्ष्य आधारित नीतिगत अंतःक्षेप का मार्ग प्रशस्त करता है। नीति आयोग मासिक आधार पर प्रमुख निष्पादन संकेतकों)केपीआई (पर 112 आकांक्षी जिलों की निगरानी करता है। केपीआई को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इनपुट और प्रक्रिया संकेतकों का मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना जैसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वांछनीय आउटपुट और परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

5.2 निगरानी की मजबूत कार्यनीति ने जिला प्रशासन को अंतर विभागीय समीक्षाओं में शामिल होने और इस प्रकार अभिसरण लाने में सक्षम बनाया है। डेल्टा रैंक के मासिक विमोचन के माध्यम से प्रतिस्पर्धा जिलों को केपीआई में सुधार के लिए लगातार प्रेरित करती रहती है। जनवरी 2023 में इसने पांच साल पूरे कर लिए हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य सभी हितधारकों -केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों, निजी भागीदारों, नागरिक समाज और आम जनता के प्रयासों को समन्वित करने में सफल रहा है। संबद्ध मंत्रालयों ने जिलों में अपने-अपने संकेतकों में सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं और जिलों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रीय प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

5.3 नीति आयोग ने रीयल टाइम के डेटा संग्रह और निगरानी के लिए "परिवर्तन के चैंपियन" डैशबोर्ड का विकास और उपयोग किया है। नीति आयोग ने 'परिवर्तन की गाथाएं' और 'सर्वोत्तम प्रथाएं' नामक प्रकाशनों के माध्यम से सफलता की कहानियों को संकलित किया है। ये अंतःक्षेप जिनको व्यवहारिक सिद्धांतों के उपयोग, नवाचार, प्रतिकृति और प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर चुना गया है, प्रदर्शित करते हैं कि कैसे व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और नवाचारी पहलें जमीनी स्तर पर परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। नीति आयोग जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में बदलाव के लिए अन्य जिलों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को नियमित रूप से साझा भी करता है। ऐसे जिलों से उभरने वाली इन सर्वोत्तम प्रथाओं को समान चुनौतियों से जूझ रहे देश के अन्य हिस्सों में लागू करके महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सकती है।

5.4 नीति आयोग ने एडीपी मॉडल को नई प्रमुख पहलों - आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (एबीपी) और मिशन उत्कर्ष के माध्यम से दोहराने के लिए कई प्रयास किए हैं। एबीपी जिसका उद्देश्य 500 पिछड़े ब्लॉकों में समग्र और सतत विकास को गति देना है। एबीपी के तहत, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से भारत के 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों से 500 पिछड़े ब्लॉकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम राज्य के अन्य ब्लॉकों के समकक्ष होने या उनकी तुलना में

बेहतर होने के लिए विभिन्न योजनाओं के त्वरित और समन्वित कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों का समर्थन करेगा। उच्च प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर काम किया जा रहा है और ऐसे ब्लॉकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जो प्रमुख संकेतकों पर सुस्पष्ट प्रगति हासिल करेंगे। मिशन उत्कर्ष के तहत, मंत्रालयों /विभागों, जिनका जनता के साथ जुड़ाव है, ने अपने-अपने केपीआई के आधार पर सबसे पिछड़े जिलों का चयन किया है और इन पिछड़े जिलों को अगले एक वर्ष में राज्य के औसत और अगले दो वर्ष के अंदर राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के आउटपुट और परिणाम लक्ष्य अनुबंध III में देखे जा सकते हैं।

5.5 पिछले चार वर्षों के लिए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के लिए आवंटन नीचे दिया गया है:

(रु. करोड़ में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्रम संख्या	प्रमुख शीर्ष	योजना का नाम	ब. आ. (2020-21)	वास्तविक (2020-21)	ब. आ. (2021-22)	वास्तविक (2021-22)	ब. आ. (2022-23)	वास्तविक (2022-23) (दिसम्बर 2022 तक)	ब. आ. (2023-24)
1	3475	सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)	180.00	266.76	581.00	580.96	0.01	22.81	433.00

5.6 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के लिए अनुदान 2022-23 के लिए पूरक मांगों के पहले बैच में आवंटित 500 करोड़ रुपये के उपयोग के आंकड़े और बीई (2023-24) के लिए ओडीए के तहत आवंटित 433 करोड़ रुपये का विस्तृत ब्रेकअप प्रदान करने के लिए कहा गया, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"अनुपूरक अनुदानों की मांग 2022-23 के पहले बैच में आवंटित 500 करोड़ रुपये का उपयोग और वर्ष 2023-24 (बीई (के लिए ओडीए के तहत आवंटित 433 करोड़ रुपए का ब्रेकअप निम्नानुसार हैं:

(i) अब तक 22.8 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

(ii) वर्ष 2023-24 के लिए 433 करोड़ रुपये का प्रस्तावित ब्रेकअप:

- विंडो-I (मासिक रैंकिंग के आधार पर)- 360 करोड़ रूपये
- विंडो-II (एक या अधिक जिलों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं)- 65 करोड़ रुपये
- विंडो-III (क्षमता निर्माण के उपाय)- 8 करोड़ रुपये"

5.7 वित्तीय व्यवस्था सहित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम (एबीपी) का विस्तृत टेम्प्लेट प्रदान करने के लिए कहने पर, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया कि:

"आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम)एबीपी(, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रूपरेखा के आधारपर इस विचार के साथ बनाया गया है कि जिलों के भीतर भी अल्पविकास वाले कुछ स्थान हैं जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के भाग के रूप में, मिशन अंत्योदय के सर्वेक्षण डेटा के आधार पर देश भर से 500 ब्लॉकों का चयन किया गया है, और संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इन 500 अपेक्षाकृत अल्पविकसित ब्लॉकों के प्रदर्शन की निगरानी में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करता है। कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जो जीवन की गुणवत्ता या नागरिकों की आर्थिक उत्पादकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं यथा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास। इसके अलावा, यह देखते हुए कि प्रत्येक राज्य की अपनी प्रासंगिक जरूरतें हैं, सभी राज्यों को चयनित ब्लॉकों की प्रगति की निगरानी के लिए पहले से पहचाने गए क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों को चुनने की स्वतंत्रता है।"

5.8 जब एडीपी और एबीपी और एबीपी के लघु और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच अंतर निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया कि:

"आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, एडीपी से कार्यक्रम की व्यापकता और गहराई के मामले में भिन्न हैं, क्योंकि इसमें गैर आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। कार्यक्रम का इस स्तर पर कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। बल्कि विशिष्ट फोकस क्षेत्रों के तहत संकेतकों की एक सूची है, जिसके आधार पर ब्लॉकों की निगरानी की जानी अपेक्षित है। एबीपी का व्यापक लक्ष्य राज्य स्तर पर)अल्पावधि में (और राष्ट्रीय स्तर पर)दीर्घविधि में (औसत ब्लॉक के समतुल्य, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों का व्यापक लक्ष्य चिह्नित ब्लॉकों में विकास कार्यों को उत्प्रेरित करना है, जिससे इन ब्लॉकों को सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के फोकस क्षेत्रों में परिणाम दर्शाने में सक्षम बनाया

अध्याय- छह

राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)

6.1 नीति आयोग सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को सक्रिय करके 2047 में विकसित भारत की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी करना चाहता है। इसके लिए, अधिक संरचित और संस्थागत तरीके से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अपने सतत जुड़ाव को फिर से मजबूत करने के लिए नीति आयोग की व्यापक पहल के रूप में राज्य सहायता मिशन की कल्पना की गई है। इस मिशन के तहत, नीति आयोग समावेशी विकास की रणनीतियों का विकास करने में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता कर रहा है ताकि वे अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और राज्य परिवर्तन संस्थान)एसआईटी (की स्थापना कर सकें। ये राज्य परिवर्तन संस्थान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक रणनीतियों के विकास का मार्गदर्शन करेंगे। राज्य /संघ राज्य क्षेत्र नीति आयोग के सहयोग से एसआईटी स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं या नियोजन विभागों और बोर्डों जैसे अपने मौजूदा संस्थानों की भूमिका की फिर से कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा, यह मिशन राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र सहायता प्रदान करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य विजन का विकास करना, उनके आर्थिक लक्ष्यों का निर्धारण करना, मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना और नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना शामिल है। यह मिशन राज्यों के विजन को लागू करने में उनकी सहायता करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और नागरिक समाजों की विशेषज्ञता का लाभ भी उठाना चाहता है।

6.2 नीति आयोग पहले ही अपने-अपने राज्यों में एसआईटी स्थापित करने की वकालत करने के लिए सभी राज्यों से संपर्क कर चुका है। कुछ राज्यों ने एसआईटी की स्थापना की घोषणा की है।
नीति आयोग को राज्य विजन दस्तावेज और विकास रणनीति तैयार करने के लिए नीति आयोग से ज्ञान और तकनीकी सहायता मांगने वाले कुछ राज्यों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाना है। वर्ष 2023-24 के लिए एसएसएम के आउटपुट और परिणाम लक्ष्य **अनुलग्नक IV** में देखे जा सकते हैं।

6.3 सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग एसआईटी के साथ सहयोग करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर, योजना मंत्रालय ने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया कि:

> *"नीति आयोग को प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का अधिदेश मिला हुआ है। एसएसएम, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक साझा विजन विकसित भारत @ 2047 की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक साथ लाने के लिए संस्थागत तरीके से राज्यों के साथ नीति आयोग की चल रही भागीदारी को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम है।*

यह मिशन राज्यों को समग्र सहायता भी प्रदान करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

*(i) **तकनीकी सहायता:** नीति आयोग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए नीति आयोग और विदेशी एजेंसियों की कार्यक्षेत्र विशिष्ट तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा।*

*(ii) **क्षमता निर्माण:** अपनी कार्यनीतियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के अवसर।*

*(iii) **निगरानी और मूल्यांकन:** कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए बेहतर परिणाम-आधारित दृष्टिकोण के लिए उनकी निगरानी और मूल्यांकन इकाई के सुदृढ़ीकरण में सहायता।*

*(iv) **डाटा एनालिटिक्स:** साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता के लिए उनकी डाटा एनालिटिक्स यूनिट के सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन।*

*(v) **ज्ञान संसाधन केंद्र:** आसान पहुंच और राज्यों के तत्काल संदर्भ के लिए मानकीकृत टूलकिट, मॉड्यूल, सर्वोत्तम परिपाटियों आदि से युक्त एक ज्ञान भंडार।*

*(vi) **समन्वय और सहयोग:** सभी हितधारकों, जिनमें राज्य, विकास एजेंसियां, सिविल सोसायटी, अनुसंधान और ज्ञान संस्थान शामिल हैं, के साथ एक गतिशील और सुदृढ़ साझेदारी के निर्माण में राज्यों को सुविधा प्रदान करना।*

*(vii) **मानव संसाधन:** मिशन की अवधि के लिए राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार राज्यों में कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों की एक पृथक टीम अंतःस्थापित की जाएगी।*

एसएसएम का समग्र उद्देश्य राज्यों को उनकी विकास कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की क्षमता में वृद्धि करना है।"

6.4 इसके अलावा, जब यह विवरण देने के लिए कहा गया कि क्या 40 करोड़ रुपये की राशि 2023-24 के सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया कि:

"चूंकि यह मिशन मांग आधारित है, अत :इच्छुक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ही 2023-24 के लिए निर्धारित 40 करोड़ रुपए के कुल बजट परिव्यय से लाभान्वित होंगे। इसके तहत 8-9 कार्यक्षेत्र विशेषज्ञों के रूप में राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने, विकास कार्यनीति तैयार करने में सहयोग करने, अध्ययन आयोजित करने, कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने, एम एंड ई इकाइयों की स्थापना करने आदि के कार्य किए जाएंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिक्रिया के आधार पर, संशोधित अनुमान स्तर पर बजट में संशोधित प्रावधानों की मांग की जाएगी।"

अध्याय -सात

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

7.1 नीति आयोग को देश में एसडीजी को अपनाने और इनकी निगरानी की देखरेख करने तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का दोहरा अधिदेश मिला हुआ है। नीति आयोग के अधीन कार्य, केवल समयसमय पर एसडीजी पर डाटा एकत्र करना नहीं है बल्कि लक्ष्यों - ना है। वर्षऔर प्रयोजनों को सक्रिय रूप से साकार कर2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने विश्व का कायाकल्पः सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडा)'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड :2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट') नामक दस्तावेज को अंगीकार किया, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 संबद्ध प्रयोजन शामिल थे। एसडीजी का वर्ष 2030 तक महत्व के पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् लोग, पृथ्वी, समृद्धि, शांति और साझेदारी को संबोधित करने के लिए विश्व भर में लोगों के लिए एक सार्वभौमिक कॉल- एक्शन के रूप में अंगीकार किया गया था। ।-टू17 एसडीजी और 169 प्रयोजन एकीकृत और अविभाज्य हैं तथा सतत विकास के तीन आयामों अर्थात् आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को संतुलित करते हैं। मानवता और पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों और प्रयोजनों से अगले 15 वर्षों में कार्रवाई को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा की गई थी।

7.2 सतत विकास के लिए वर्ष 2030 का एजेंडाः अपने विश्व का कायाकल्प, किसी को पीछे न छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने की प्रतिज्ञा है। वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और प्रयोजनों को लागू करने में हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से देशों की है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और 'सबका साथ, सबका विकास' या 'सामूहिक प्रयास, समावेशी विकास' का एजेंडा, एसडीजी के अनुरूप है ।

7.3 नीति आयोग में एसडीजी वर्टिकल ने एसडीजी में प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रगति की निगरानी, कार्यों के मूल्यांकन और सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकार / प्रशासन के साथ परामर्श और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। राज्य के परामर्शों में नेतृत्वकर्ताओं की बड़ी भागीदारी देखी गई, जो उच्चतम स्तर पर एसडीजी एजेंडे के स्वामित्व का संकेत देती है । इन कार्यशालाओं में, नीति आयोग का प्रमुख एसडीजी भारत सूचकांक वर्टिकल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख निगरानी और मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है।

7.4 भारत सरकार (यूएनएसडीएफ-जीओआई) संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क-2018-2022, भारत की प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास विकास लक्ष्योंकी उपलब्धि (एसडीजी) के समर्थन में भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम के बीच विकास सहयोग कार्यनीति में प्रवेश करने के बाद की रूपरेखा तैयार करता है। कार्यान्वयन के अपने अंतिम वर्ष, भारत सरकार और भारत में संयुक्त राष्ट्र की कंट्री टीम अगले पांच वर्ष की अवधि 2023-27 के लिए भारत सरकारसंयुक्त -

को नवीनीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। (यूएनएसडीसीएफ) राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचे नए सहयोग फ्रेमवर्क का मार्गदर्शन करने वाले प्रमुख आउटकम और आउटपुट, सरकार, सीएसओ, विचारमंच और - आर्थिक उद्यमों कपरामर्श के साथ एक उच्च परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए हैं। राज्य वित्त और समन्वय वर्टिकल, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क (यूएनएसडीसीएफ)2023-27 से संबंधित कार्य के समन्वय के लिए नोडल वर्टिकल के रूप में कार्य करता है।

7.5 <u>एसडीजी का स्थानीयकरण</u>

2030 के एजेंडा को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी कार्यनीति के लिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है। वास्तव में, एसडीजी के स्थानीयकरण में संबंधित संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक एसडीजी को समझना, अनुकूलन करना, योजना बनाना, कार्यान्वयन करना और निगरानी करना शामिल है। इसमें एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना, विज़न दस्तावेज तैयार करना, योजनाओं और विभागों के साथ एसडीजी का मानचित्रण करना, राज्य/जिला और ब्लॉक संकेतक ढांचे का विकास करना, एसडीजी डैशबोर्ड विकसित करना, एसडीजी के साथ बजट को जोड़ना, अधिकारियों का क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण में सीएसओ / सीएसआर को शामिल करना शामिल है।

7.6 संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय पोलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट (एचएलपीएफ) में जुलाई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा "स्थानीयकरण का भारतीय मॉडल" पर एक प्रतिवेदन जारी किया गया था। इस रिपोर्ट में एसडीजी के स्थानीयकरण में उप-राष्ट्रीय अनुभवों का दस्तावेजीकरण है और इसकी सफलताओं और चुनौतियों सहित इनसे प्राप्त अनुभवों का उल्लेख है।

7.7 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) भारत सूचकांक व्यापक रूप से सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेजीकरण और रैंकिंग संबंध कार्य कर रहा है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओं को एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में डेटा को देखने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। डैशबोर्ड को सालाना अपडेट किया जाता है - हर बार इंडेक्स का एक नया संस्करण लॉन्च किया जाता है - और इसमें नीति निर्माताओं, नागरिक समाज, व्यवसाय और शिक्षाविदों के लिए क्रॉस-सेक्टोरल प्रासंगिकता है। इसके अतिरिक्त, दो परस्पर संवादात्मक डैशबोर्ड भी विकसित किए गए हैं – पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक और एसडीजी शहरी सूचकांक। पूर्वोत्तर जिला एसडीजी इंडेक्स पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित है, जो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इस सूचकांक में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के जिलों को सतत विकास लक्ष्यों और उनके संबंधित लक्ष्यों पर उनके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी तैयार किया गया था ताकि उपयोगकर्ता पूर्वोत्तर जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट में डेटा का विश्लेषण कर सकें और उनकी कल्पना कर सकें। यह डैशबोर्ड क्षेत्र- स्तरीय और जिला-स्तरीय अंतर्दृष्टि मुहैया कराता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र

जिला एसडीजी सूचकांक डेटा से महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। एसडीजी शहरी सूचकांक, जो नीति आयोग-जीआईज़ेड और बीएमज़ेड सहयोग का एक परिणाम है, भारतजर्म-नी विकास सहयोग की छत्रछाया में भारतीय शहरों में एसडीजी स्थानीयकरण का मार्ग प्रशस्त करने पर केंद्रित है। सूचकांक एसडीजी ढांचे के 46 लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरी क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। सूचकांक और डैशबोर्ड एसडीजी के स्थानीयकरण को मजबूत करने और शहरी स्तर पर एसडीजी की मजबूत निगरानी आरम्भ करने के लिए हैं। यह यूएलबी स्तर के डेटा, निगरानी और रिपोर्टिंग सिस्टम की ताकत और अंतराल पर प्रकाश डालता है।

7.8 एसडीजी स्थानीयकरण और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) जैसी अन्य योजनाओं को मजबूत करने के लिए इसकी सीख का उपयोग करने के संबंध में एक प्रश्न पूछे जाने पर, योजना मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नानुसार कहा:

"लाइफ अभियान में स्थानीय संस्कृति के घटकों को आत्मसात करने सहित एसडीजी स्थानीयकरण की सीख का लाभ उठाना बहुत उपयोगी होगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ,लाइफ अभियान को मजबूत करने के लिए इनका उपयोग करने की योजना बना सकता है।

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

बजट का विश्लेषण

1. समिति नोट करती हैं कि वर्ष 2023-24 के लिए मांग संख्या 77 के अंतर्गत योजना मंत्रालय का बजट अनुमान (बीई) 824.39 करोड़ रुपये है। इसी तरह से वर्ष 2022-23 के लिए, बजट अनुमान और संशोधित अनुमान क्रमशः 321.42 करोड़ रुपये और 1031.53 करोड़ रुपये थे, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक राशि 1064.13 करोड़ रुपये थी। योजना मंत्रालय के बजट की संवीक्षा से यह पता चलता है कि 2022-23 के बजट अनुमान (2023-24) में क्रमशः 156.48% की वृद्धि हुई है और बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में 20.08% की कमी आई है। इसके अलावा, बजट अनुमान (2023-24) में 2021-22 के वास्तविक अनुमानों की तुलना में 22.53% की कमी आई है। समिति ने यह भी नोट करती है कि संशोधित अनुमान (2022-23) में बजट अनुमान (2022-23) की तुलना में 221 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समिति वर्षों से बजट अनुमान और संशोधित अनुमान के बीच समान वित्तीय वर्ष के भीतर विभिन्न आवंटनों को इंगित करना चाहती है। समिति मंत्रालय द्वारा निधियों के उपयोग को भी उजागर करना चाहती है क्योंकि संशोधित अनुमान (2022-23) में आवंटित 1064.13 करोड़ रुपये की निधि में से मात्र 21.77% (244.60 करोड़ रुपये) का ही दिसंबर 2022 तक उपयोग किया गया था। इसलिए, समिति पुनः सिफारिश करती है कि मंत्रालय को बजटीय प्रस्ताव की योजना बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि देश के इस प्रमुख थिंक टैंक को बजट अनुमान स्तर पर ही पर्याप्त निधियां आबंटित की जा सकें।

2. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (2023-24) के राजस्व शीर्ष और पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आवंटन क्रमशः 805.73 करोड़ रुपये और 18.66 करोड़ रुपये है। बजट अनुमान (2022-23) में ये आवंटन क्रमशः 310.67 करोड़ रुपये और 10.75 करोड़ रुपये थे, जिन्हें बाद में संशोधित कर क्रमशः 1012.28 करोड़ रुपये और 20.30 करोड़ रुपये कर दिया गया। समिति बजट अनुमान (2023-24) में पूंजीगत हिस्सेदारी के केवल 2.26% के साथ समग्र बजट में पूंजीगत खंड के सीमित हिस्से को भी इंगित करना चाहती है, जबकि यह 2022-23 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में क्रमशः 3.34% और 1.97% था। इसलिए समिति पूंजीगत खंड के अंतर्गत पर्याप्त बजटीय आवंटन की सिफारिश करती है ताकि 'अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम' जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रभावित न हों।

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ)

3. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (2023-24) में डीएमईओ के लिए आवंटन गत वर्ष से 17 करोड़ रुपये पर बना हुआ है। योजना मंत्रालय ने एक लिखित अनुरोध में समिति को बताया है कि चालू वित्त वर्ष 2023-2024 में, डीएमईओ बड़ी संख्या में मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने की योजना बना रहा है जो भारत सरकार की अधिकांश प्रमुख योजनाओं को कवर करेगा और इसलिए, धन की आवश्यकता अधिक होने की संभावना है। मंत्रालय ने आगे बताया कि वास्तविक व्यय के आधार पर, वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान चरण के दौरान अतिरिक्त धन का अनुरोध किया जाएगा। गत वर्ष भी मंत्रालय ने समिति को बताया था कि

उन्होंने 36.44 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की थी, लेकिन केवल 17.00 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए थे। समिति महसूस करती है कि कुछ कमी को पूरक चरणों में संतुलित किया जा सकता है। अतः, समिति का मत है कि मंत्रालय को एक वर्ष में किए जाने वाले संभावित अनुसंधान अध्ययनों और इसके लिए निधि आवश्यकताओं के बारे में पहले से योजना बनाकर बजट तैयार करने के चरण में ही अधिक सक्रिय होना चाहिए।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम)

4. समिति नोट करती है कि अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की प्रमुख योजना के लिए बजट अनुमान (2023-24) में 155 करोड़ रुपये के आवंटन की मांग की गई है, जबकि बजट अनुमान (2022-23) और बजट अनुमान (2021-22) में क्रमशः 155.31 करोड़ रुपये और 342 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। समिति आगे नोट करती है कि बजट अनुमान (2022-23) और बजट अनुमान (2021-22) की तुलना में बजट अनुमान (2023-24) में क्रमशः 0.20% की मामूली कमी और 54.68% की उल्लेखनीय कमी आई है। योजना मंत्रालय ने एक लिखित अनुरोध में समिति को बताया है कि एआईएम के लिए 155.31 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (2022-23) की तुलना में संशोधित अनुमान (2022-23) चरण में 343.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। मंत्रालय ने गत वर्ष समिति को यह भी बताया था कि गत कुछ वर्षों में एआईएम के व्यय का प्रमुख घटक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित करना था और चूंकि एआईएम वर्ष 2021-22 में 10,000 एटीएल स्थापित करने के अपने जनादेश को पूरा कर रहा था, इसलिए उन्होंने बजट अनुमान (2022-23) में कम आवंटन की मांग की थी। समिति नोट करती है कि नीति आयोग द्वारा दिए गए बयान और संशोधित अनुमान (2022-23) में मांगे गए आवंटन में विसंगति है। समिति यह समझना चाहती है कि यदि अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) की स्थापना का अधिदेश 2021-22 में पूरा कर लिया गया था, तो बजट अनुमान (2022-23) के 221% अतिरिक्त धन की मांग पूरक स्तर पर क्यों की गई थी। समिति नोट करती है कि मंत्रालय ने बजट अनुमान (2023-24) के लिए कम आवंटन को सही ठहराने के लिए इस वर्ष नए एटीएल स्थापित करने की कोई योजना नहीं होने का इसी तरह का अनुरोध किया है। हालांकि, समिति महसूस करती है कि देश में नवाचार और उद्यमिता का पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एआईएम के उद्देश्य के लिए बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसे परिदृश्य में, समिति का मानना है कि एआईएम के लिए बजट आवंटन को कम करने के बजाय, नीति आयोग को एटीएल के रखरखाव की प्रभावी निगरानी और एआईएम के अन्य पहलों को लागू करने के लिए शेष धन का उपयोग करना चाहिए। मंत्रालय ने समिति को यह भी बताया है कि एआईएम एक नई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की प्रक्रिया में है और कार्य के विस्तार और बजट में वृद्धि के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी दे रही है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी)

5. समिति नोट करती है कि बजट अनुमान (2023-24) में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के लिए बजटीय आवंटन 433 करोड़ रुपये है, जबकि 2022-23 के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में क्रमशः 0.01 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया

है। समिति गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष समय पर किए गए आवंटन की सराहना करती है, जब व्यय वित्त समिति (ईएफसी) प्रस्तुत न करने के कारण बजट अनुमान (2022-23) पर केवल 0.01 करोड़ रुपये सांकेतिक रूप से दिये गये थे। तथापि, समिति यह भी महसूस करती है कि एडीपी को जिलों की प्रगति पर नजर रखने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत करने के अपने दोहरे कार्य से आगे बढ़कर इन पिछड़े जिलों के विकास पर अधिक ध्यान देने वाली संबंधित मंत्रालयों की प्रमुख योजनाओं के साथ गंभीर संरेखण करना चाहिए। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय सरकार की प्रमुख योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अन्य जिलों की तुलना में आकांक्षी जिलों को निधि आवंटन बढ़ाने की संभावना पर विचार-विमर्श करे। इसके अलावा, वास्तविक समय के आंकड़ों के अलावा, समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय लगातार नई पद्धतियों को विकसित करे और जिला प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आंकड़ों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष का मूल्यांकन करे। समिति एडीपी के संबंध में डेटा संग्रह, मिलान और विश्लेषण के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की ईमानदारी से क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहती है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)

6. समिति नोट करती है कि नीति आयोग की नई पहल अर्थात् आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) पर ध्यान देती है जिसका उद्देश्य आकांक्षी जिला मॉडल को ब्लॉक स्तर पर ले जाकर विभिन्न विकास मापदंडों पर पिछड़ रहे ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। समिति आगे नोट करती है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक परामर्श के माध्यम से भारत में 28 राज्यों और 4 संघ राज्य् क्षेत्रों से 500 पिछड़े ब्लॉकों का चयन किया गया है। योजना मंत्रालय ने समिति को बताया है कि अच्छा काम करने वाले ब्लॉकों को प्रोत्साहित करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। समिति एबीपी की समावेशी प्रकृति की सराहना करती है जहां यह स्वीकार करती है कि हरएक राज्य की अपनी प्रासंगिक आवश्यकताएं हैं और इसलिए सभी राज्यों को चुनिंदा ब्लॉकों की प्रगति की निगरानी करने के लिए पहले से पहचाने गए क्षेत्रों जैसे सामाजिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के अलावा, क्षेत्रों को चुनने की स्वतंत्रता है। समिति यह भी चाहेगी कि मंत्रालय एबीपी के कार्यकरण पर नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

राज्य सहायता मिशन (एसएसएम)

7. समिति नीति आयोग द्वारा शुरू की गई नई योजना अर्थात राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) को नोट करती है, जिसके अंतर्गत नीति आयोग आईआईटी/आईआईएम जैसे अग्रणी ज्ञान संस्थानों, विकास भागीदारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और सिविल सोसाइटियों के समन्वय से राज्यों को राज्य परिवर्तन संस्थान (एसआईटी) स्थापित करने में सहायता कर रहा है। समिति आगे यह नोट करती है कि इस योजना को बजट अनुमान (2023-24) में 40 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जबकि संशोधित अनुमान (2022-23) में 50 लाख रुपये का पूर्व आवंटन किया गया था और मिशन को 237.50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 2022-23 से 2024-25 तक लागू किया जाना है। समिति इस प्रावधान की सराहना करती है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या तो एसआईटी स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं अथवा योजना विभागों और बोर्डों जैसे अपने मौजूदा संस्थानों की भूमिका की पुनर्कल्पना कर सकते हैं, एसआईटी की

सटीक भूमिका को भी समझना चाहेगी क्योंकि वर्तमान में विभिन्न राज्यों में विभिन्न योजना संरचनाएं अलग-अलग उद्देश्यों को पूरा करती हैं और उनके बीच कोई एकरूपता नहीं है। समिति आगे यह भी चाहती है कि उसे एसआईटी और नीति आयोग के बीच सहयोग की प्रकृति से अवगत कराया जाए। समिति का मत है कि समवर्ती सूची का विषय होने के नाते आर्थिक और सामाजिक नियोजन में राज्यों और केंद्र दोनों की सामंजस्यपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, जिसमें राज्य जमीनी काम कर रहे हैं और नीति आयोग जैसी संस्थाएं अपनी तकनीकी विशेषज्ञता के साथ उनकी सहायता कर रही हैं। समिति का यह भी विचार है कि लघु उद्योग जैसी योजनाओं की सावधानीपूर्वक योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि राज्यों को यह महसूस न हो कि योजना बनाने की उनकी शक्ति का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए, समिति नीति आयोग से इसमें शामिल कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और संवेदीकरण करने की सिफारिश करती है ताकि तकनीकी विशेषज्ञता प्रत्येक राज्य की विशिष्ट स्थानीय विशेषताओं के साथ उचित रूप से संतुलित हो सके।

अनुसंधान और अध्ययन

8. समिति नोट करती है कि अनुसंधान और अध्ययन योजना मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीनम है, जो तत्कासलीन योजना आयोग के चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में व्यय का प्रावधान करती है। समिति यह भी नोट करती है कि ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए बजट आवंटन को बजट अनुमान (2022-23) में 6 करोड़ रुपये से कम करके बजट अनुमान (2023-24) में मात्र 4 करोड़ रुपये कर दिया और दिसंबर 2022 तक केवल 28.16% (1.69 करोड़ रुपये) का कम व्यय किया। योजना मंत्रालय ने एक लिखित अनुरोध में कहा है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 में स्वीकृत 17 अध्ययनों की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 20 पर उच्च संख्या में अध्ययनों की सहायता करने की उम्मीद की थी, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-दिसंबर के दौरान केवल 10 अध्ययनों को मंजूरी के लिए उपयुक्त निर्धारित किया गया था, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के अप्रैल-दिसंवर के दौरान से वितरित राशि केवल 1.69 करोड़ रुपये थी। समिति का मत है कि अनुसंधान किसी भी थिंक टैंक का एक अभिन्न अंग है और नीति आयोग सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक होने के नाते, जिसे दीर्घकालिक नीतियों / कार्यक्रमों को डिजाइन करने और केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, को अनुसंधान अध्ययनों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

9. समिति नोट करती है कि नीति आयोग का दोहरा कार्य देश में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाने और निगरानी की देखरेख करना और राज्यों और संघ राज्यि क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नीति आयोग का काम केवल अवाधिक रूप से एसडीजी पर डेटा एकत्र करना नहीं है, बल्कि लक्ष्यों और लक्ष्यों को सक्रिय रूप से प्राप्त करने में सहायता करना है। समिति का मत है कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कुछ ही वर्ष बचे हैं, इसलिए मंत्रालय को कार्यान्वियन की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। समिति एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशवोर्ड, सतत विकास लक्ष्यों पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक पर अद्यतन डेटा की निगरानी और एकत्र

करने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सराहना करती है। समिति नोट करती है कि 2030 एजेंडा को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी रणनीति के लिए एसडीजी का स्थानीयकरण महत्वपूर्ण है। समिति की यह भी राय है कि इस तरह की एसडीजी स्थानीयकरण योजनाओं को अन्य सरकारी योजनाओं का भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी अच्छी योजना के समग्र उद्देश्य में उस क्षेत्र का सतत विकास शामिल है। इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि स्थानीय और संतत परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रमुख सरकारी योजनाओं/नीतियों को कार्यान्वित करते समय, जहां भी संभव हो, तरीकों और प्रक्रियाओं के स्थानीयकरण की एक व्यापक योजना बनाई जाए।

नई दिल्ली
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति,
वित्त संबंधी स्थायी समिति

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 28 फ़रवरी, 2023 को 1300 बजे से 1430 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री हेमंत पाटिल
9. श्री रवि शंकर प्रसाद
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. प्रो. सौगत राय
12. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
13. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
14. श्री मनीश तिवारी
15. श्री वल्लभनेनी बालाशोरी

राज्य सभा

16. डॉ राधा मोहन दस अग्रवाल
17. श्री राघव चड्ढा
18. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
19. श्री सुशील कुमार मोदी
20. डॉ. अमर पटनायक
21. डॉ सी. एम. रमेश
22. श्री जी. वी. एल. नरसिंहा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

साक्षी

योजना मंत्रालय (नीति आयोग)

1. श्री बी. वी. आर सुब्रह्मण्यम, सी ई ओ
2. श्री जयंत सिन्हा, एएस एवं एफए
3. डॉ योगेश सूरी, वरिष्ठ सलाहकार (जी एवं आर)
4. डॉ. (सुश्री) नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार
5. सुश्री अन्ना रॉय, वरिष्ठ सलाहकार (डी एम ए)
6. श्री राजीब कुमार सेन, वरिष्ठ सलाहकार
7. श्री इश्तियाक अहमद, वरिष्ठ सलाहकार
8. सुश्री वी. राधा, अपर सचिव
9. श्री संजय कुमार, डी जी (डी एम ई ओ)
10. डॉ चिंतन वैष्णव, एम डी (ए आई एम)
11. श्री वाई. के. जोशी, एम डी (मिशन लाइफ)
12. श्री संजीत सिंह, वरिष्ठ लीड (ई एवं एफ /एच आर)
13. श्री पार्थ सारथी रेड्डी चेवुरु, सलाहकार
14. श्री राजनाथ राम, सलाहकार
15. श्री सुधेंदु ज्योति सिन्हा, सलाहकार
16. श्री अविनाश मिश्रा, सलाहकार
17. श्री के. एस. रेजिमोन, संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय और उनकी परिचयात्मक टिप्पणियों के पश्चात, वरिष्ठ सलाहकार (नीति आयोग) ने समिति के समक्ष एक पॉवरपॉइंट प्रस्तुति दी। तत्पश्चात, समिति ने योजना मंत्रालय (नीति आयोग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) और नीति आयोग के समग्र मिशन और कार्यक्षेत्र पर विचार-विमर्श किया। बैठक के दौरान जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) के कार्य निष्पादन और लेखा परीक्षा तथा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के रूप में इसका ब्लॉक स्तर तक विस्तार करना, राज्यों में जमीनी स्तर के कर्मचारियों की क्षमता अभिवृद्धि, राज्य सपोर्ट मिशन (एसएसएम) के माध्यम से राज्यों को

तकनीकी सहायता, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) के माध्यम से एक डिजिटल नॉलेज रिपॉजिटरी का सृजन करना, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर इसका प्रभाव, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) के माध्यम से योजनाओं / नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन, नीति आयोग के अनुसंधान कार्यक्रम, मुख्य सचिवों का सम्मेलन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका जैसे विषय शामिल हैं। समिति ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण, विनिवेश, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) के माध्यम से परिवर्तनकारी गतिशीलता, बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई), जलवायु वित्त, मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली), सीमांत प्रौद्योगिकियों और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की।

3. साक्षियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। तत्पश्चात, सभापति ने योजना मंत्रालय (नीति आयोग) के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों, जिनके उत्तर उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थे, के उत्तर इस सचिवालय को तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ।

तत्पश्चात साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक बुधवार, 15 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1720 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री सुधीर गुप्ता
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री हेमंत पाटिल
11. श्री रवि शंकर प्रसाद
12. प्रो .सौगात राय
13. श्री गोपाल शेट्टी
14. डॉ. (प्रो) कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री मनीश तिवारी
16. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
17. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ .अमर पटनायक
20. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
21. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

<u>भाग-एक</u>

2. XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX.

(तत्पश्चात साक्षी सक्ष्य देकर चले गए।)

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया।

(i) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर चौवनवां प्रतिवेदन।

(ii) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर पचपनवां प्रतिवेदन।

(iii) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर छप्पनवां प्रतिवेदन।

(iv) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर सतावनवां प्रतिवेदन।

(v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर अठावनवां प्रतिवेदन।

कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदानों की माँग के विभिन्न शीर्षों में प्रतिशत वृद्धि/कमी का विश्लेषण

(हजार रु. में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्कीमों के नाम	बजट अनुमान 2020-21	वास्तविक 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	वास्तविक 2021-22	ब.अ. 2020-21 की तुलना में ब.अ. 2021-22 में %वृद्धि/कमी	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक 2022-23 (@)	ब.अ. 2021-22 की तुलना में ब.अ. 2022-23 में %वृद्धि/कमी	बजट अनुमान 2023-24	ब.अ. 2022-23 की तुलना में ब.अ. 2023-24 में %वृद्धि/कमी
		1. स्थापना व्यय										
1	3451	योजना विभाग	15000	10940	15000	13115	--	15500	12031	(+)3.33%	16000	(+)3.23%
2	3451	नीति आयोग (मुख्यालय)	740200	665111	670000	1029661	(-)9.48%	1172900	981243	(+)75.06%	1588400	(+)35.43%
3	3451	नवीनीकरण और परिवर्तन(#)	--	11698	70000	42804	--	75000	41895	--	--	(-)100.00%
4	3451	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व)(#)	--	10487	30000	24110	--	25000	18605	--	--	(-)100.00%
5	3451	प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद	30000	29283	30000	19387	--	30000	22476	--	30000	--
6	3451	विभागीय कैंटीन	7000	5360	6000	5655	(-)14.29%	6500	2881	(+)8.33%	6500	--
7	3475	विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय	140000	244449	160000	157288	(+)14.29%	170000	116142	(+)6.25%	170000	--
		कुल- स्थापना व्यय	**932200**	**977328**	**981000**	**1292020**	**(+)5.23%**	**1494900**	**1195273**	**(+)52.39%**	**1810900**	**(+)21.14%**
		2. अन्य केंद्रीय व्यय										
1	3475	राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान को सहायता अनुदान	90000	95000	96700	92600	(+)7.44%	98600	96700	(+)1.96%	113000	(+)14.60%
		कुल अन्य केंद्रीय व्यय	**90000**	**95000**	**96700**	**92600**	**(+)7.44%**	**98600**	**96700**	**(+)1.96%**	**113000**	**(+)14.60%**
		3. केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम										
1	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (राजस्व)	3000000	3324092	3420000	3419649	(+)14.00%	1453100	708997	(-)57.51%	1443000	(-)0.70%
	3475	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (सेतु) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम) (पूंजी) (*)	--	--	--	--	--	100000	--	--	107000	--
	3475	राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) (%)	--	--	--	--	--	--	--	--	400000	#DIV/0!
2	3475	योजना निर्माण मूल्यांकन एवं समीक्षा (^)	500000	334666	--	--	(-)100.00%	--	--	--	--	--
3	3475	नवीनीकरण और परिवर्तन (#)	90000	26920	--	--	(-)100.00%	--	--	--	--	--
4	3475	अनुसंधान एवं अध्ययन (&)	50000	49551	312200	34247	(+)524.40%	60000	16858	(-)80.78%	40000	(-)33.33%
5	3475	संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) (&)	1800000	2667563	5810000	5809600	(+)222.78%	100	228146	(-)100.00%	4330000	(+)4329900.00%
6	3475	सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व)(#)	30000	15008	--	--	(-)100.00%	--	--	--	--	--

@ यह व्यय दिसंबर 2022 तक का है।

(#) दो विस्तृत शीर्षों अर्थात् 1. नवीनीकरण और परिवर्तन 2. सूचना प्रौद्योगिकी (राजस्व) को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान संशोधित अनुमान के चरण पर परिवर्तन करके योजना से स्थापना कर दिया गया है।

(&) अनुसंधान और अध्ययन योजना के तहत 25.22 करोड़ रुपये की राशि रोक ली गई है जिसे बाद में 29.04.2021 के दौरान नीति आयोग-मुख्यालय में पुनः विनियोजित की जा चुकी है।

(^) वित्तीय वर्ष 2021-22 से योजना-आयोजना निर्माण, मूल्यांकन एवं अनुवीक्षण बंद कर दी गई है।

(&) बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए 400 करोड़ रुपये के प्रावधानों में से भारत की आकस्मिकता निधि से जेआईसीए से ओडीए के तहत 22.82 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(%) एसजेई वर्टिकल द्वारा प्रस्तावित "राज्य सहायता मिशन" (एसएसएम) नामक एक नई योजना को मंजूरी दे दी गई है और 0.50 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23 और 40 करोड़ रुपये का बजट अनुमान (बीई) 2023-24 में आवंटित किया गया है।

(हजार रु. में

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	स्कीमों के नाम	बजट अनुमान 2020-21	वास्तविक 2020-21	बजट अनुमान 2021-22	वास्तविक 2021-22	ब.अ. 2020-21 की तुलना में ब.अ. 2021-22 में %वृद्धि/कमी	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक 2022-23 (@)	ब.अ. 2021-22 की तुलना में ब.अ. 2022-23 में %वृद्धि/कमी	बजट अनुमान 2023-24	ब.अ. 2022-23 की तुलना में ब.अ. 2023-24 में %वृद्धि/कमी
7	5475	सूचना प्रौद्योगिकी (पूंजी)	7800	2819	7800	--	--	7500	--	(-)3.85%	--	(-)100.00%
		कुल-केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं	5477800	6420619	9550000	9263496	(+)74.34%	1620700	954001	(-)83.03%	6320000	(+)289.95%
		सकल योग	6500000	7492947	10627700	10648116	(+)63.50%	3214200	2245974	(-)69.76%	8243900	(+)156.48%
	3451	कटौती वसूलियां		--		(-) 1587						
	3475	कटौती वसूलियां		(-) 6051		(-)5179						
				7486896		10641350						

योजना मंत्रालय मांग संख्या 77

1. स्वरोज़गार एवं प्रतिभा उपयोग (सेतु) (सीएस) सहित अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निष्पादन 2023-24			परिणाम 2023-24		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
	क. अटल इंक्यूबेशन केंद्र					
155.00	1.नवाचार और उद्यमिता के लिए प्लैटफार्म का निर्माण	1.1 स्थापित किए गए अटल इंक्यूबेशन केंद्रों की संख्या	15*	1. भारत में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना	1.1. इनक्यूबेट किए गए स्टार्ट-अप्स की संख्या (वास्तविक और वर्चूअल)	600
		1.2 एआईएम इंक्यूबेटरों द्वारा प्रदान किए गए इंक्यूबेटर/स्टार्ट अप विशिष्टता सत्रों की संख्या	400		1.2. एआईएम स्टार्ट-अप्स के द्वारा सृजित नौकरियों की संख्या (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष)	3000
		1.3 एआईसी द्वारा शुरू की गई मूल्य वर्धन करने वाली साझेदारियों की संख्या	100		1.3. एआईएम इंक्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्ट-अप्स के लिए बाहर से ली गई निधि (x एआईएम अनुदान के माध्यम से प्राप्त सीड फंडिंग की राशि है)	8x
		1.4 एआईसी में मेंटरों की संख्या	120		1.4. एआईसी इंक्यूबेटी द्वारा फाइल की गई बौद्धिक संपदाओं (आईपी) की संख्या	60

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निष्पादन 2023-24			परिणाम 2023-24		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
	ख. अटल टिंकरिंग लैब					
	1. नवाचार और उद्यमिता के लिए प्लैटफार्म का निर्माण करना	1.1 स्थापित किए जाने वाले एटीएल की संख्या	1000*	1.भारत में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति और इकोसिस्टम को बढ़ावा देना	1.1. एटीएल नवाचार परियोजनाओं में कार्यरत छात्रों की संख्या	40000
		1.2 एटीएल में कार्यरत स्कूल कर्मचारियों/ अध्यापकों की संख्या (कुल स्कूलों में)	3000		1.2. तैयार किए गए एटीएल छात्र प्रोटोटाइप नवाचारों की संख्या	4000
		1.3 शुरू की गई एटीएल नवाचार चुनौतियों की संख्या	5		1.3. एसआईपी/एसईपी/ साझेदारी मान्यता कार्यक्रमों के माध्यम से मान्यता प्रदान किए गए छात्रों की संख्या	400
	ग. अटल नव भारत चुनौती					
	1. अटल नव भारत चुनौती	1.1. मंत्रालयों के साथ शुरू की गईं एएनआईसी चुनौतियों की सं.	20	1. भारत के संदर्भ में संगत अत्याधुनिक तकनीक पर	1.1 चुनौतियों के माध्यम से प्राप्त नवाचार प्रविष्टियों की सं.	400

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निष्पादन 2023-24			परिणाम 2023-24		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
		1.2. भागीदारों(निजी/अंतर्राष्ट्रीय/ अन्य) के साथ शुरू की गई नवाचार चुनौतियों की सं.	4	आधारित उत्पाद		
		1.3. केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर संभावित क्रेताओं से जुड़े एएनआईसी विजेताओं की संख्या	12		1.2 एएनआईसी द्वारा नए सृजित नवाचार की सं.	50
					1.3 सरकार और निजी क्षेत्र के निवेशकों से जुड़े एएनआईसी विजेताओं की संख्या	6
	घ.अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र					
	1. अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र	1.1 सहायता प्राप्त अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की संख्या	15	1. अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों के माध्यम से समावेशी नवाचार की संस्कृति का सृजन करना	1.1 इनक्यूबेट किए गए एसीआईसी स्टार्ट-अप्स की संख्या (वास्तविक और वर्चुअल)	400
		1.2 एसीआईसी द्वारा आयोजित नवाचार ज्ञान साझाकरण सत्रों की संख्या	20		1.2 एसीआईसी द्वारा सृजित स्थानीय सामुदायिक नौकरियों की संख्या	1000
					1.3 एसीआईसी इंक्यूबेट द्वारा फाइल की गई बौद्धिक संपदाओं (आईपी) की संख्या	50
	ङ. अटल नवाचार मिशन					

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निष्पादन 2023-24			परिणाम 2023-24		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
	1. देश के नवाचार इकोसिस्टम की देख-रेख करने के लिए अंब्रेला संरचना का सृजन करना	1.1 आईएएम के साथ परिवर्तन के लिए नामांकित स्वयंसेवकों/मेंटरों की संख्या	500	1. एआईएम द्वारा सृजित नवाचार इकोसिस्टम का सृजन करना	1.1 मेंटरों द्वारा आयोजित सत्रों की संख्या	500
		1.2 मंत्रालयों और विभागों के साथ सहयोग और सलाह	7		1.2 एआईएम द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण सत्रों की संख्या ताकि मंत्रालयों में नवाचारों का संचालन किया जा सके।	7
		1.3 सृजित स्थानिक नवाचार कार्य बल की संख्या	88		1.3 स्थानिक कार्य बल द्वारा ज्ञान साझाकरण सत्रों के लाभार्थियों की संख्या	500
	2. देश के नवाचार और उद्यमिता इकोसिस्टम में कमियों को पहचान और उन्हें दूर करने हेतु युक्तिपूर्ण कार्यक्रम और	1.1 इकोसिस्टम में विभिन्न हितधारकों को जोड़ने के लिए जारी/शुरु किए गए कार्यक्रमों की संख्या (उदाहरण: एआईएम आईलीप, एआईएम प्राइम, एआईएम आईसीडीके चैलेंज इत्यादि)	5	1.विविध मंचों के जरिए स्टार्ट-अप्स, निवेशक, कॉरपोरेट, इनोवेटर, शैक्षणिक समुदाय, इनेबलर्स को राष्ट्रीय इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों	1.1 विभिन्न हितधारकों के बीच स्थापित किए गए संबंधों की संख्या	150
					1.2 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदान किए गए नवाचार समाधानों की संख्या	80

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निष्पादन 2023-24			परिणाम 2023-24		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
	साझेदारी (अर्थात् कार्यक्रम एआईएम लाभार्थियों तथा दूसरों के लिए जारी है)	1.2 नकली चल रहे और नई साझेदारी	50	से जोड़ना। 2.समाधान प्रदाताओं (छात्र/स्टार्ट अप्स/उद्यमित) द्वारा समाधान की मांग करने वालों (निवेशकों/कॉरपोरेट/एमएसएमई/अलाभकारी संस्थाओं आदि) को नवाचार समाधान को सुगम बनाना 3.प्रदर्शित किए गए नवाचार समाधानों (उत्पाद/प्रौद्योगिकी) के साथ समाधान की मांग करने वालों (संभावित क्रेता) के बीच लेन-देन को सुगम बनाना (उदाहरण – पीओसी, वाणिज्यिक आदेश, प्रायोगिक कार्यान्वयन आदि) 4.भागीदारों के माध्यम	1.3 समाधान प्रदाताओं (छात्र/स्टार्ट-अप्स) और समाधान की माँग करने वालों (सरकारी/निवेशकों/कॉरपोरेट/एमएसएमई/अलाभकारी संस्थाओं आदि) के बीच सुविधाजनक लेन-देन की संख्या	20
					1.4 भागीदारों के माध्यम से क्षमता विकास, विकसित ज्ञान मॉड्यूल, विशिष्ट मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या	80

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निष्पादन 2023-24			परिणाम 2023-24		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
				से एआईएम और उसके लाभार्थियों को अनुकूल मूल्य प्रदान करना		

**अनुमानित आँकड़े पूर्ण रूप से अनंतिम हैं, बजट परिव्यय को अंतिम रूप देने पर इनमें परिवर्तन हो सकता है।*

****

2. सतत विकास लक्ष्यों (ईएपी एसडीजी) के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) से प्राप्त आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए)

वित्तीयपरिव्यय (करोड़ रुपये में)	निष्पादन (2023-24)			परिणाम (2023-24)		
2023-24	निष्पादन	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
433 (प्रस्तावित राशि)	एक वर्ष में वितरण हेतु360 करोड़ रु. (विंडो - I)	निधियों का उपयोग करने के लिए श्रेणीबद्ध जिलों/ब्लॉकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या।	जिले और ब्लॉकोंसे प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है	परियोजनाओं को रैंक हासिल करने वाले जिलों/ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित है।	अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या।	जिले और ब्लॉकों का प्रस्तावों को मंजूरी देना
	65 करोड़ रु. के प्रस्ताव को प्राप्त करने के लिए (विंडो- II)	एक या एक से अधिक जिलों/ब्लॉकों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएँ	65 करोड़ रु. के प्रस्ताव को प्राप्त करने के लिए (विंडो- II)	परियोजनाओं के कार्यान्वित होने की उम्मीद है।	जिला/ब्लॉक विशेष द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण परियोजनाएं अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की जानी हैं।	65 करोड़ रु. के लागत की परियोजना के अनुमोदन के लिए (विंडो- II)
	भारत में संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग में संस्थागत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए 8 करोड़ रु. की लागत से प्रस्ताव (विंडो- III)	क्षमता निर्माण उपाय	संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग में संस्थागत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण/क्षमता निर्माण से संबंधित 8 करोड़ रु. की लागत के प्रस्तावों का अनुमोदन।	भारत में संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग में संस्थागत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के लिए प्रस्ताव (विंडो-III)	क्षमता निर्माण उपाय	संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग में संस्थागत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण/क्षमता निर्माण से संबंधित 8 करोड़ रु. की लागत के प्रस्तावों का अनुमोदन। (विंडो-III)

*चूंकि वे राज्य विशिष्ट और मांग आधारित हैं

*****